

148



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक

सन 2013

-4208-11/13

- 1. बलवानसिंह तनय श्री महादेवसिंह
- 2. गोपालसिंह तनय महादेवसिंह
- 3. मुलायमसिंह तनय श्री महादेवसिंह समस्त निवासी ग्राम प्रकाशबन्धौरी तहसील गौरिहार जिला उत्तरपुर मण्डल-: आवेदकगण

बनाम

- 1. प्रहलादसिंह तनय श्री अवतारसिंह डायरेक्टर ओरियन्टल स्टक्चरल इंजीनियर्स प्राईवेट लि० नई दिल्ली हॉल निवासी ग्राम प्रकाशबन्धौरी उप तहसील जुझारनगर तहसील गौरिहार जिला उत्तरपुर मण्डल

2. मध्य प्रदेश शासन

-: अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 250 मण्डलभूतानसंहिता 1959,

बिरुद्ध आवेदक दिनांक 24.1.2013 जो रणमण्डल 1/अ-3/2012-13 में न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील गौरिहार जिला उत्तरपुर मण्डल द्वारा पारित किया गया है।

श्रीमान ,

3

*[Handwritten signature]*  
29/1/13

3700

को पोस्ट द्वारा आज को प्राप्त

*[Handwritten signature]*  
11-1-13  
न्यायालय



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4208-तीन/2013

जिला-छतरपुर

बलवान सिंह आदि विरुद्ध प्रहलाद सिंह व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील गौरिहार, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-3/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (जे0के0 जैन) सदस्य</p>	